PBR/अपील/भोपाल/भू.रा./2018/1157

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र., ग्वालियर म.प्र.

अपील प्रकरण क्रमांक /18

श्रीमती मीरा शर्मा पत्नि श्री कुंज बिहारी शर्मा
आयु 50 वर्ष, निवासी– म.नं. 591,
दुर्गा मंदिर के पास, आनन्द नगर,
भोपाल म.प्र. -------- अपीलार्थी

विरूद्ध

1. आशीष शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरेश शर्मा
आयु वयस्क, निवासी– म.नं. ए–53,
सिद्धार्थ लेकसिटी, आनन्द नगर,
भोपाल म.प्र.

2. मुख्य प्रबंधक/ब्रांच मैनेजर
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
शाखा टी.टी. नगर, भोपाल ------- प्रतिअपीलार्थीगण

द्वितीय अपील

अपीलार्थी की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न निवेदन है:–

अपीलार्थी द्वारा विद्यमान न्यायालय माननीय अपर आयुक्त संभाग भोपाल (पीठासीन अधिकारी श्रीमान रविन्द्र कुमार मिश्रा) द्वारा प्रकरण क्रमांक 140/अपील/2015–16 आलोच्य आदेश दिनांक 30/01/2018 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/भोपाल/भू.रा./2018/1157

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष
13-3-2018	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रत्यर्थी पक्ष की शिकायत पर मद अ-121 में प्रकरण दर्ज कर तहसील न्यायालय को निर्देश दिये गये हैं । अतः कलेक्टर द्वारा पारित प्रशासकीय आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील अथवा निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः प्रथम दृष्टया इस न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह अपील अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	